

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक:12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता को राजस्थान पुनर्शिक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बैंड (9300-34800)/(16600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 08 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 08 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम गय पदस्थापन स्थान (राजगावि/शाबाउगावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का प्रकार	PAY MATRIX LEVER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मनीष कुमार करसाना, जवाहर राजगावि अजमेर	भौतिक	17/01/1974	01-07-99 व.अ.	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	01-07-2019
2.	भरत कुमार डांगर, डूंगरा छोटा (वांसवाड़ा)	भौतिक	1/7/1970	09-12-98 व.अ.	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	09-12-2018
3.	जगदीश प्रसाद गीणा, नीमूचाना (अलवर)	भौतिक	18/02/1974	19-12-98 व.अ.	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	19-12-2018
4.	नरेन्द्र कुमार शर्मा, गुरलीपुरा स्कीम (जयपुर)	भौतिक	13/07/1974	30-12-97 व.अ.	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	30-12-2017
5.	दिनेश कुमार जैन, महारावल डूंगरपुर	भौतिक	5/9/1967	02-07-90 व.अ.	डीपीसी	30 वर्ष	L-14	02-07-2020
6.	चन्द्रशेखर, रूपवास (भरतपुर)	भौतिक	15/05/1971	14-12-98 व.अ.	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	14-12-2019
7.	लालूराम विश्नीई, सांचोर (जालौर)	गणित	2/2/1965	01-07-90 व.अ.	डीपीसी	30 वर्ष	L-14	01-07-2020
8.	अनुपमा चौधरी, जयसिंहपुरा खोर (जयपुर)	गणित	16/05/1966	11-11-89 व.अ.	डीपीसी	30 वर्ष	L-14	11-11-2019
9.	गोविन्द प्रसाद मित्तल, सैंती (चित्तौड़गढ़)	गणित	25/02/1963	17-01-90 व.अ.	डीपीसी	30 वर्ष	L-14	17-01-2020
10.	हेताराम वसीर, अनूपगढ़ (गंगानगर)	गणित	4/6/1962	02-07-90 व.अ.	डीपीसी	30 वर्ष	L-14	02-07-2020
11.	पुष्पिता लाहिड़ी, कोनी (गंगानगर)	वर्तमान प्रधानाचार्य तत्समय व्या. गणित	15/06/1960	01-12-94 व्याख्याता	पीएससी	20 वर्ष	6000 (PB-III)	01-12-2014

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

(सौरभ स्वामी)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 16/09/2020

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-3/भौगक/एसीपी/स्वीकृति/2020/241
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।

02- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जिला मुख्यालय।

03- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मुख्यालय।

✓04- सिरस्टम एनालिसट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

05- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।

06- निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक:12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता-आरवीआरईएस) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बैंड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 08 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 09 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/बाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	PAY MATRIX LEVER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राजेश भट्ट, कानपुर (गिर्वा) उदयपुर	भौतिक	21/08/1971	03-08-99 व्याख्याता	अनुदानित से स्क्रिण्ड	20 वर्ष	L-14	03-08-2019
2.	जावेद अहमद, मावली (उदयपुर)	गणित	13/11/1965	27-11-97 व्याख्याता	अनुदानित से स्क्रिण्ड	20 वर्ष	L-14	27-11-2017

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 एवं नियम 2017 के तहत उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-09 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार किया जावेगा। निर्देशानुसार इन्हें दिनांक: 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

(सौरभ स्वामी)

आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-3/एसीपी/भौगक/आरवीआरईएस/एसीपी/2020/100 दिनांक: 16/09/2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।

02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुख्यालय।

03- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जिला मुख्यालय।

04- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मुख्यालय।

05- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

06- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।

07- निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर